कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

पत्रांक– 797 / 12-1 दिनांक सितम्बर 03, 2015.

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

विषयः– वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण।

महोदय,

आपके द्वारा Online वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में प्रभावित वृक्षों की गणना में 0–10 व्यास वर्ग की पौध को भी सम्मिलित किया गया है, इन पौधों को वृक्षों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना है। नाप भूमि में प्रभावित वृक्षों का निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके किया जाय। अतः नाप भूमि में प्रभावित वृक्षों का निस्तारण प्रभाग स्तर पर पृथक से किया जाय, इन वृक्षों की सूची भी प्रस्ताव में सम्मिलित न किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रॉक पी0ओ0 152 दिनॉक 20.08.2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कृपया निम्न वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वृक्षों की सूची संशोधित कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. छतोली–कल्याणी भटक्वाली मोटर मार्ग क्षे0 2.67 है0।
2. मेहलचौरी बैण्ड से सिलंगना–घंडियाल क्षे0 0.451 है0।
3. पजियाणा–घंडियाल मोटर मार्ग क्षे0 1.988 है0।
4. मैखोली से नलगॉव–वासीसेम क्षे0 2.152 है0।
5. छातोली–जखेट मोटर मार्ग क्षे0 0.17 है0।
6. आदि बद्री–नौटी मोटर मार्ग से कॉसुवा होते हुए चॉदपुर गढी तक मोटर मार्ग क्षे0 1.67 है0।
7. कावासेरा से थापली मोटर मार्ग क्षे0 0.33 है0।

3/9

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

पत्रांक 797 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ को प्रेषित कि अपने प्रभाग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों पर उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने कष्ट करें।

3/9

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

6/2